न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 100/2019 **दायर दिनांकः 10/07/2019**

उनवान

1. सोहनलाल आयु 71 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति महाजन निवासी मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट बाबत् नाम दुरस्ती हेतु

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 29/07/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 खाता संख्या 92 ख0नं0 476 का रकबा 2.18 है0, 476/1015 का रकबा 0.35 है0ख0नं0 480 का रकबा 0.05 है0 ख0नं0 481 का रकबा 1.53 है0 कुल किता 4 का रकबा 4.11 है0 आराजी में वादी का नाम सोहनलाल के स्थान पर जुगलकिशोर आपके कमचारीगण ने गलत दर्ज कर दिया वादी का सही नाम सोहनलाल है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र मेरमाचाह व स्कूल जन्मतिथि प्रमाण पत्र, तहसीलदार नोड्यूज प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने वादी का नाम जुगलकिशोर गलत दर्ज किया है। उक्त आराजी वादी की पैतृक आराजी है। आपके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा सहवन से सोहनलाल के स्थान पर जुगलकिशोर नाम दर्ज कर दिया जबकि वादी के भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ग्राम पंचायत मेरमाचाह प्रमाण पत्र, स्कूल जन्म प्रमाण पत्र आदि में सोहनलाल नाम दर्ज है। जो सही है। बिना सहायता न्यायालय आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा वादी का नाम जुगलकिशोर के स्थान पर सोहनलाल दर्ज किया जाना सम्भव नही है। यदि वादी का नाम उक्त वर्णित आराजी में सही नहीं किया गया तो वादी को

अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर के0सी0सी0 ऋण आदि प्राप्त करने से वंचित होना पडेगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। इसलिए वादी का वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर जुगलकिशोर के स्थान पर सोहनलाल दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वाद कारण प्रथमबार आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा वादी का नाम गलत दर्ज करने पर एवं अन्तिम बार दिनांक 27.05.2019 को पटवार हल्का द्वारा आराजी में जुगलकिशोर नाम दर्ज होने की जानकारी देने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम मेरमाचाह तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर वादी विनयी है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावें कि:—

(अ) वादी को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित ग्राम मेरमाचाह के खाता संख्या 92 ख0नं0 476 का रकबा 2.18 है0, 476/1015 का रकबा 0.35 है0ख0नं0 480 का रकबा 0.05 है0 ख0नं0 481 का रकबा 1.53 है0 कुल किता 4 का रकबा 4.11 है0 आराजी पर जुगलकिशोर के स्थान पर सोहनलाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे जुगलकिशोर के स्थान पर सोहनलाल दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण मे राजहित प्रभावित नही हो रहा है। जबाव दावा दिया जाना आवश्यक नही है। जबाव दावा प्रतिवादी बन्द किया गया।

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत Pw_1 के बयान लेखबद्ध किये गये उभय पक्षकारान की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया वादी का नाम पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड तथा ग्राम पंचायत मेरमाचाह द्वारा जारी

प्रमाण पत्र, विद्यालय का जन्म प्रमाण पत्र आदि में भी वादी का सही नाम सोहनलाल दर्ज है। अतः जमाबन्दी संख्या 92 किता 4 रकबा 4.11 है0 में जुगलकिशोर पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर सोहनलाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को दिये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मेरमाचाह की खाता संख्या 92 की किता 4 रकबा 4.11 है0 में खातेदार जुगलकिशोर पुत्र जगन्नाथ दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र दिनांक 08.11.2017 आधार कार्ड, परिचय पत्र चुनाव, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड विधालय का प्रमाण पत्र आदि में वादी का नाम सोहनलाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज है। तथा जवाब प्रतिवादी ने भी वादी का वाद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही की। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम मेरमाचाह की खाता संख्या 92 किता 4 रकवा 4.11 है0 में खातेदार जुगलकिशोर पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर सही नाम सोहनलाल पुत्र जगन्नाथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 100/2019

उनवान

1. सोहनलाल आयु 71 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति महाजन निवासी मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट बाबत् नाम दुरस्ती हेतु</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X..............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम मेरमाचाह की खाता संख्या 92 किता 4 रकवा 4.11 है0 में खातेदार जुगलकिशोर पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर सही नाम सोहनलाल पुत्र जगन्नाथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 29.07.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.08.19 15:48:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: